समाचार पत्रों की कतरनें

मई, 2025

डस्टबिन नहीं लगा है तो गाड़ी की नहीं होगी पासिंग

परिवहन विभाग ने जारी किए निर्देश; अभी 5 मई तक मिलेगी राहत, चलाया जाएगा जागरुकता अभियान

संवाद न्यूज एजेंसी

शिमला। आपके वाहन में अगर डस्टबिन नहीं लगा है तो ऐसे वाहनों की परिवहन विभाग अब पासिंग नहीं करेगा। इन वाहनों को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।

यह निर्देश अभी पांच मई के बाद वाहन चालकों पर लागू होंगे। आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी) ने 5 मई तक चालान की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए एक विशेष जागरुकता अभियान चलाने का फैसला लिया है। इस बारे में बसों और टैक्सी यूनियनों के साथ बैठक कर उन्हें सूचित कर दिया है।

आरटीओ का कहना है कि इस दौरान चालकों को वाहन में डस्टबिन की अनिवार्यता और स्वच्छता नियमों की जानकारी मौके पर दी जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन विभाग के इस फैसले से सरकारी, निजी बसों और टैक्सी चालकों को राहत मिली है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (एमवीआई) को यह भी निर्देश दिए हैं कि केवल उन्हीं वाहनों को पासिंग दी जाए जिनमें डस्टबिन की व्यवस्था हो।

नियमों का पालन नहीं हुआ तो संबंधित वाहन को ब्लैक लिस्ट किया जाए। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले सैलानी सड़क के किनारे कहीं भी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और खाना खाने के बाद खाली पैकेट खुले में फेंक देते हैं। नई व्यवस्था से न केवल पर्यटन स्थलों में कूड़ा फैलने से रुकेगा बल्कि पर्यावरण को जो नुकसान होता है, वह भी नहीं होगा। वाहनों में डस्टबिन रखने के बाद चालक उसमें इकट्ठे होने वाले कूड़े को पेट्रोल पंप या बस अड्डे पर रखे कूड़ेदानों में डाल सकते हैं।

चिप्स और अन्य खाद्य पदार्थों के खाली रेपर लोग कहीं भी फेंक देते हैं। गंदगी न फैले और पर्यावरण को नुकसान न हो इसलिए चालक गाड़ी में डस्टबिन रखेगा तो साफ सफाई रहेगी। 5 मई तक जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद नियमों की अवहेलना पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

-अनिल कुमार शर्मा, आरटीओ शिमला

नियमों का पालन नहीं किया तो ब्लैक लिस्ट होंगे वाहन

अमर उजाला, दिनांक. 3 मई 2025
पेज न0–03, कालम–1,2,3,4,5

कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन न लगाने पर आज से जुर्माना

परिवहन विभाग की ओर से अमल में लाई जाएगी कार्रवाई

हिमाचल दस्तक ▮ शिमला

हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन न लगाने वाले ऑपरेटरों पर सोमवार से कार्रवाई होगी। जिन ऑपरेटरों ने अभी भी वाहनों में डस्टबिन नहीं लगाए गए हैं, उनके खिलाफ परिवहन विभाग की ओर से सोमवार से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नियमों की अवहेलना करने पर विभाग की ओर से ऐसे ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर सभी आरटीओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

वाहनों में 4 मई तक दी थी डस्टबिन लगाने की छूट

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में जारी निर्देशों के बाद निजी बस ऑपरेटरों सहित टैक्सी ऑपरेटरों द्वारा वाहनों में डस्टबिन व बिन रख दिए हैं, मगर अभी भी पथ परिवहन निगम की बसों में ये व्यवस्था नहीं दिख रही है। हालांकि बीते दिनों के दौरा निगम प्रबंधन द्वारा सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को बसों में डस्टबिन स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए थे। मगर अभी भी निगम बसों में डस्टबिन स्थापित नहीं हो पाए हैं। परिवहन विभाग द्वारा भी सभी कमर्शियल व्हीकलों में 4 मई तक डस्टबिन लगाने की छूट दी गई थी और विभाग ने 5 मई से नियमों की अवहेलना करने वालों पर कारवाई अमल में लाने के निर्देश दिए गए थे। ऐसे में सोमवार से ऐसे ऑपरेटरों के खिलाफ परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई अमल में लानी शुरू कर दी जाएगी, जिन्होंने अभी भी अपने वाहनों में डस्टबिन नहीं लगाए है। प्रदेश में 29 अप्रैल से यह योजना शुरू हो गई है। इसके तहत जहां पुराने वाहनों में व्यवस्था लागू करनी अनिवार्य थी, वहीं नए वाहनों की पासिंग तब तक नहीं होगी, जब तक उसमें यह व्यवस्था न हो। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। राज्य सरकार ने सभी टैक्सी चालकों, एचआरटीसी और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में कार बिन्स कूड़ेदान लगाना अनिवार्य किया है। इससे वाहन में उत्पन्न कचरे को एकत्रित कर निर्धारित स्थानों पर फेंका जा सके।

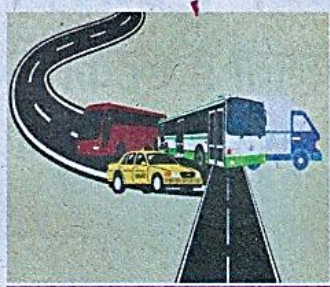

प्रदेश में 29 अप्रैल से लागू हो गई है योजना

प्रदेश में ये योजना 29 अप्रैल से लागू हो गई है। इसके साथ ही विभाग द्वारा ऑपरेटरों की दी गई मोहल्लत भी खत्म हो गई है। हालांकि छोटे कमर्शियल वाहनों सहित निजी बसों में ऑपरेटरों द्वारा डस्टबिन लगा दिए गए है, मगर अभी भी एचआरटीसी की बसों में पूरी तरह ये व्यवस्था धरातल पर उतरते नहीं दिख रही है। आज से परिवहन विभाग इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरेगा और नियमों का पालन करते हुए चालान भी कर सकता है। इसमें डस्टबिन न लगाने पर 10 हजार रुपये का जर्माना लगाया जाएगा, जबकि इधर-उधर कूड़ा फेंकने पर 1500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

अमर उजाला, दिनांक. 4 मई 2025
पेज न0–03, कालम–2,3,4,5

सड़क हादसों के घायलों का डेढ़ लाख तक कैशलेस इलाज

देशभर में लागू हुई सुविधा : चिह्नित अस्पतालों में भर्ती होने पर पहले सात दिन का खर्च सरकार देगी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सड़क हादसों के पीड़ितों के लिए देशभर में कैशलेस इलाज योजना शुरू की है। इसके तहत हादसे में घायल को अधिकतम डेढ़ लाख रुपये का मुफ्त इलाज मिलेगा। सरकार के चिह्नित अस्पतालों में पहले सात दिन के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। योजना पांच मई से लाग हो गई।

संचालन समिति करेगी निगरानी : केंद्र सरकार योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संचालन समिति बनाएगी। समिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ एवं सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सदस्य होंगे। मंत्रालय ने 14 मार्च, 2024 को दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू किया था।

अधिसूचना के मुताबिक, सड़क पर मोटर वाहन से हादसे का शिकार कोई भी व्यक्ति इसके तहत कैशलेस उपचार का हकदार होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए), अस्पतालों, पुलिस व राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के समन्वय से योजना की कार्यान्वयन एजेंसी होगा। पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिन तक निर्धारित अस्पताल में डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। किसी अन्य अस्पताल में तय दिशा-निर्देशों के अनुसार ही पीड़ित की हालत स्थिर होने तक ही इलाज मुफ्त होगा। ब्यूरो

प्रदेशों में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद होगी नोडल एजेंसी

अधिसूचना के अनुसार, राज्य सड़क सुरक्षा परिषद राज्यों में योजना के कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी होगी। यह अस्पतालों को शामिल करने, पीड़ितों के उपचार, निर्दिष्ट अस्पताल को भुगतान एवं संबंधित मामलों के लिए पोर्टल को अपनाने व इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के साथ समन्वय के लिए जिम्मेदार होगी।

अमर उजाला, दिनांक. 7 मई 2025
पेज न0–01, कालम–1,2,3,4

सार्वजनिक, निजी परिवहन व टैक्सियों में गार्बेज बिन रखना अनिवार्य : मुख्य सचिव

हिमाचल दस्तक ▮ शिमला

▮ कहा- प्लास्टिक की वस्तुओं में खाना परोसने पर किया जाएगा 1500 जुर्माना

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक, निजी परिवहन और टैक्सियों में गार्बेज बिन रखना अनिवार्य है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि इसमें सभी प्रकार के पर्यटक वाहन, सार्वजनिक एवं निजी परिवहन और टैक्सियां शामिल हैं। प्रदेश में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। प्रबोध सक्सेना ने कहा कि प्रदेश में आशित कूड़ा-कचरा और अनाशित कूड़ा-कचरा अपशिष्ट को फेंकने की घटनाएं देखी जा रही हैं। जिसके कारण न केवल प्रदूषण बढ़ता है। बल्कि नालों इत्यादि के जाम होने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटक वाहनों के साथ-साथ सार्वजनिक एवं प्राइवेट परिवहन एवं टैक्सियों से कूड़ा फेंकने की घटनाएं देखी गई हैं। इसके मद्देनजर राज्य में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 और हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा नियंत्रण अधिनियम-1995 की धारा-3-क की उपधारा के तहत लोक जल निकास और मलव्ययन में कूड़ा-कचरा फेंकने को प्रतिबंधित किया गया है। इसी अधिनियम के तहत प्रदेश में सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन व टैक्सी सेवाओं में गार्बेज बिन रखना अनिवार्य किया गया है ताकि कूड़े-कचरे का सही निपटान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत प्रदेश में सभी प्रकार के पर्यटक वाहनों, सार्वजनिक एवं निजी परिवहन और टैक्सियों में गार्बेज बिन रखना अनिवार्य होगा। इस संबंध में सार्वजनिक व निजी परिवहन सेवाओं, टैक्सियों एवं पर्यटक वाहनों में अनाशित व आशित कूड़ा-कचरा, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं में भोजन या अन्य खाद्य पदार्थों के परोसने पर 1500 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। साथ ही लोक परिवहन वाहनों में कूड़ा-कचरा पात्र गार्बेज बिन स्थापित न करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में व्यापक जन जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाए जाने पर बल दिया ताकि प्रदेशवासियों सहित आने वाले पर्यटकों को भी इस बारे जागरूक किया जा सके। उन्होंने बस अड्डा प्रभारियों और सार्वजनिक पार्किंग मालिकों को कूड़ा-कचरा संग्रहण करने की अनुपालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संबंधित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नागरिक सुरक्षा सिस्टम सक्रिय करें सभी डीसी

हिमाचल दस्तक ▮ शिमला

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए) के तत्वावधान में सिविल डिफेंस समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर सात मई को शिमला में सायं 4 बजे आयोजित की जाने वाली सिविल डिफेंस मॉकड्रिल ऑपरेशन अभ्यास की तैयारियों की समीक्षा की। यह मॉकड्रिल संभावित हवाई हमले की तैयारियों और प्रत्युत्तर में की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोजित की जा रही है। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने सभी जिलाधीशों को केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार नागरिक सुरक्षा सिस्टम को सक्रिय करने के लिए कहा। राज्य के रणनीतिक महत्व को देखते हुए उन्होंने दुश्मन के किसी भी संभावित हवाई हमले के मद्देनजर आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने होमगार्ड्स, अग्निशमन सेवाएं तथा नागरिक सुरक्षा के उपमहानियंत्रक, शिमला जिला प्रशासन तथा हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सभी हितधारकों तथा संबंधित विभागों को आयोजित की जाने वाली मॉकड्रिल के सभी सुचारू एवं वास्तविक निष्पादन के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास में सायरन के साथ संभावित हवाई हमले की तैयारी तथा ब्लैकआउट उपाय, भवनों में आग की घटनाओं, तलाश एवं बचाव कार्य, घायलों

▮ सिविल डिफेंस सलाहकार समिति की बैठक में बोले मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना

को बाहर निकालना, प्राथमिक उपचार तथा अति जोखिम वाले क्षेत्रों से नागरिकों का निकास शामिल है। प्रबोध सक्सेना ने नागरिक सुरक्षा जागरूकता को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य में किसी भी संभावित आपदा या हमले के लिए सामुदायिक तैयारी अनिवार्य है। उन्होंने नागरिक सुरक्षा पर बल देते हुए कहा कि इसमें शांति तथा आपदा काल में नागरिकों तथा संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए व्यवस्थित तथा असैन्य प्रयास शामिल हैं। बैठक में अन्यों के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा सहित लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति, ऊर्जा विभाग, बीएसएनएल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, रेडियो, दूरदर्शन, लोक संपर्क, आरट्रैक, मोबाइल ऑपरेटर्ज, स्वास्थ्य सेवाएं तथा अग्निशमन सेवाएं विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

हिमाचल दस्तक, दिनांक. 7 मई 2025
पेज न0–02, कालम–4,5,6,7

ओवरलोडेड ट्रकों सहित 72 वाहनों पर 12 लाख का जुर्माना लगाया

पांवटा साहिब में आरटीओ सोना चंदेल ने की कार्रवाई

हिमाचल दस्तक ▮ नाहन

आरटीओ सिरमौर सोना चंदेल ने पांवटा साहिब में नियमों की अवहेलना करने वाले ओवरलोड ट्रकों सहित 72 वाहन चालकों के चालान किए, जिन पर 12 लाख रुपये का जुर्माना किया गया। इसमें विभाग ने 19 वाहनों को जब्त भी किया है। बता दें कि विभाग को बांगरन से ओवरलोड ट्रकों को लेकर शिकायत मिली थी, जिसके बाद आरटीओ ने सोमवार रात करीब साढ़े 3 बजे दबिश दी। 30 ओवरलोड ट्रकों, 3 ओवरलोड ट्रैक्टरों के चालान किए गए।

▮ मौके पर 19 वाहनों को किया जब्त

पांवटा साहिब में बिना इंश्योरेंस और पासिंग के चलने वाले 14 ई-रिक्शा और अधूरे कागजों के चलते गुजरात और यूपी के 2 ऑटो के भी चालान किए गए। यह कार्रवाई मंगलवार शाम तक चली। वाहन चालकों पर लगाए गए 12 लाख रुपये के जुर्माने में से 4.13 लाख रुपये का जुर्माना मौके पर ही वसूल किया गया। टीम में राजेश, हनेस, मुन्ना लाल, देवेंद्र, मनदीप, श्याम लाल, रण बहादुर, धर्मेंद्र आदि शामिल रहे। आरटीओ सोना चंदेल ने बताया कि 72 वाहनों पर लगभग 12 लाख का जुर्माना लगाया है, जिसमें ओवरलोड ट्रक और ट्रैक्टर भी शामिल हैं। इसमें से 19 वाहनों को इंपाउंड भी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

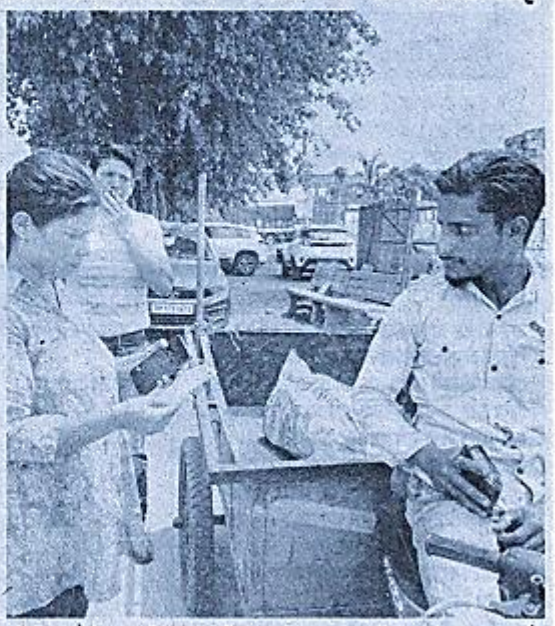

हिमाचल दस्तक, दिनांक. 8 मई 2025
पेज न0–09, कालम–6,7,8

बिना फिटनेस सर्टिफिकेट व बीमा के सड़कों पर दौड़ रहे ई-रिक्शा

पांवटा साहिब में यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर होगी कार्रवाई, ई-रिक्शा विकास समिति पांवटा में 167 से अधिक ई-रिक्शा संचालित

संवाद न्यूज एजेंसी

पांवटा साहिब (सिरमौर)। रिक्शा के लिए इंश्योरेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट दस्तावेज होना जरूरी है लेकिन पांवटा साहिब में दर्जनों ई-रिक्शा इन दस्तावेजों के बिना सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इससे यात्रियों की जान से खिलवाड़ हो रहा है।

अब परिवहन विभाग ने ऐसे ई रिक्शा वालों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है क्योंकि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट व इंश्योरेंस के ई-रिक्शा चलाना अवैध ही है। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में गुरु की नगरी पांवटा साहिब में इको फ्रेंडली माने जाने वाले ई-रिक्शा की संख्या बढ़ती जा रही है। पांवटा में पैडल रिक्शा व ऑटो अधिक चलते रहे हैं।

खास खबर

अब ई-रिक्शा का संचालन बढ़ने लगा है। तीन वर्ष पहले अचानक ई-रिक्शा की सड़कों पर भारी संख्या हो गई थी। बाहरी राज्यों के लोग कई रिक्शा यहां पर संचालित कर रहे थे। इसके बाद स्थानीय ई-रिक्शा संचालकों ने ई-रिक्शा विकास समिति पांवटा साहिब का गठन किया।

फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना चल रहे 14 ई-रिक्शा किए थे जब्त

अवैध रूप से बाहरी राज्यों के ई-रिक्शा बंद कर दिए गए। इसके बाद वर्तमान समय में 167 से अधिक ई-रिक्शा पांवटा की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ई-रिक्शा के लिए हर राज्य की अलग-अलग नीति व कानून है। हिमाचल में ई-रिक्शा संचालक के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट व इंश्योरेंस (बीमा) जरूरी है।

18 माह बाद करते हैं आवेदन

महेंद्रा कंपनी ई-रिक्शा में दो वर्ष व यात्री कंपनी के ई-रिक्शा 18 माह बाद आवेदन करते हैं। ई-रिक्शा के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने को संचालक, परिवहन विभाग या आरटीओ कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। –आबिद अली, उपप्रधान, ई-रिक्शा समिति

दो वर्षों के उपरांत सर्टिफिकेट लेना होता है। फिटनेस सर्टिफिकेट ई-रिक्शा को सड़क पर चलने के लिए सरक्षित है और सरक्षा मानकों को पूरा करती है। विगत मंगलवार को आरटीओ सिरमौर ने बिना फिटनेस परीक्षण सर्टिफिकेट व इंश्योरेंस के दौड़ रहे 14 ई-रिक्शा को जब्त किया।

आरटीओ सिरमौर सोना चंदेल ने कहा कि ई-रिक्शा के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट व इंश्योरेंस जरूरी है। इन शर्तों को पूरा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ई-रिक्शा विकास समिति पांवटा साहिब के अध्यक्ष परमजीत सिंह व महासचिव धनीराम ने बताया कि शीघ्र ही एक जागरूकता बैठक आयोजित होगी जिसमें ई-रिक्शा संचालकों को फिटनेस सर्टिफिकेट व इंश्योरेंस जरूरी करवाने के लिए जागरूक किया जाएगा।

यदि आपका ई-रिक्शा फिटनेस परीक्षण में पास हो जाता है, तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होगा। निर्धारित समय पर फिटनेस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण करवाना जरूरी है।

दिव्य हिमाचल, दिनांक. 10 मई 2025
पेज न0–04, कालम–1,2,3,4,5,6

लोक अदालत में 59440 मामलों का निपटारा

प्रदेश में मोटर वाहन चालान के मामलों में ई-पे से किया भुगतान

स्टाफ रिपोर्टर – शिमला

- वसूल की 77.63 करोड़ से ज्यादा राशि

प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत में 59440 मामलों का निपटारा किया गया। प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में दस मई को न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षण और न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, न्यायाधीश, प्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में मोटर वाहन चालान के मामले में ई-पे (ई-कोर्ट डिजिटल भुगतान) के माध्यम से कंपाउंडिंग शुल्क के भुगतान की ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की गई थी।

राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में संदेश, जिंगल और आईईसी सामग्री के वितरण व स्थानीय निकायों के हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पैरा लीगल वालंटियर्स, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि के माध्यम से जनता को जागरूक किया गया। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला मुख्यालय सोलन में राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष होने वाली कार्यवाही का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण भी किया एवं हितधारकों/ प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सदस्य सचिव रंजीत सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए 127 बैंचों के समक्ष 109134 मामले उठाए गए, जिनमें 59440 मामलों का निपटारा किया गया और लगभग 776345832 रुपए राष्ट्रीय लोक अदालत में दावेदारों से वसूल किए।

दिव्य हिमाचल, दिनांक. 12 मई 2025
पेज न0–04, कालम–2,3,4

टैक्स जमा कराने की समयसीमा खत्म, अब एनओसी अनिवार्य

गुड्स एवं पैसेंजर टैक्स के 14 करोड़ रुपये ऑपरेटरों ने जमा करवाए, 23 करोड़ अभी भी लंबित

शिमला। वाहनों के टैक्स जमा न कराने वालों से परिवहन विभाग अब सख्ती से निपटेगा। परिवहन विभाग ने ऑपरेटरों के लिए 2 साल के भीतर टैक्स जमा करने के लिए विंडो खोली थी। इसमें 14 करोड़ रुपये ऑपरेटरों ने जमा करा दिए हैं। करीब 23 करोड़ अभी भी लंबित हैं।

अब विभाग ने विंडो बंद करने का फैसला लिया है। गुड्स एवं पैसेंजर टैक्स पहले राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पास जमा होता था। लेकिन 2022 के बाद परिवहन विभाग के पास ही यह टैक्स जमा होता रहा है। इसमें एकमुश्त लंबित टैक्स का भुगतान करने पर छूट दी जा रही थी। अब किसी का पुराना टैक्स है तो उसे पहले कर एवं कराधान विभाग से एनओसी लाना अनिवार्य होगा। ऑपरेटरों को अब छूट नहीं मिलेगी।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों से हिमाचल आ रही बसों और अन्य गाड़ियों को रोकना मुश्किल है। केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक इन ऑपरेटरों ने तीन लाख रुपये देश के किसी भी कोने में जाने के लिए जमा कराए हैं। हिमाचल सरकार इन ऑपरेटरों पर विशेष पथ कर लगा रही है। इससे परिवहन विभाग ने दो साल में 17 करोड़ रुपये की राशि अर्जित की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन लाख रुपये जमा कराने वाला पोर्टल हटा दिया है। अब परिवहन विभाग खुद अपना पोर्टल बनाएगा। इससे विभाग की आय में और इजाफा होगा। ब्यूरो

- **कोई भी लगा सकता है व्हीकल स्क्रैप प्लांट...** परिवहन विभाग ने सोलन और नादौन में व्हीकल स्क्रैप प्लांट लगाया है। इनमें 400 गाड़िया स्क्रैप की जा चुकी हैं। हिमाचल के लोगों ने बाहरी राज्यों में 2500 गाड़ियां स्क्रैप की गई हैं। परिवहन विभाग ने व्यवस्था की है कि हिमाचल में कोई भी व्यक्ति व्हीकल स्क्रैप प्लंट लगा सकता है। परिवहन विभाग में आने वाले समय में भी और भी बदलाव देखने को मिलेंगे।

अमर उजाला, दिनांक. 14 मई 2025
पेज न0–03, कालम–2,3,4,5

अवैध रूप से चल रही दो वोल्वो बसें पकड़ीं

आरटीओ ने शोघी में लगाया नाका, 20-20 हजार रुपये जुर्माना वसूला

संवाद न्यूज एजेंसी

शिमला। शहर में अवैध रूप से चल रही वोल्वो बसों पर गाज गिरी है। आरटीओ विभाग की ओर से चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के तहत अवैध रूप से संचालित दो वॉल्वो बसों को पकड़ा गया है।

यह कार्रवाई आरटीओ विभाग की ओर से शोघी में नाका लगाकर की। यहां पर विभागीय टीम ने बसों की जांच के दौरान कई अनियमितताएं पाई गईं।

आरटीओ विभाग की टीम शाम के वक्त शोघी पहुंची। बताया जा रहा है कि दिल्ली की दो वोल्वो बसें अवैध रूप से यहां आकर सवारियां ले जाने का काम कर रही हैं। लिहाजा विभाग को जब सूचना मिली तो अधिकारियों ने एक टीम बनाकर शोघी में नाका लगाया। जांच में सामने आया कि यह बसें बिना वैध परमिट के सवारियों को ढो रही हैं। लिहाजा आरटीओ विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बसों के चालकों को 20-20 हजार रुपये का मौके पर चालान भी किया। वहीं चेतावनी दी कि अगर भविष्य में नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ विभाग के अनुसार यह कार्रवाई परिवहन विभाग के निर्देशों के तहत की गई। दूसरी ओर विभाग ने छोटी गाड़ियों, ट्रक और पिकअप गाड़ियों की जांच भी की। इसके अलावा ओवर स्पीड गाड़ियों को रोका गया वहीं ओवर लोड गाड़ियों की चेकिंग भी की गई।

पर्यटन स्थल शिमला में अवैध रूप से संचालित वाहनों की बढ़ती संख्या गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि विभाग की सर्तकता से इस तरह के मामलों में कमी आई है। लेकिन विभाग का दावा है कि वह इस तरह की कार्रवाई नियमित रूप से जारी रखेंगे। इससे नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा।

100 गाड़ियों की जांच की

विभाग की टीम ने शोघी में नाका लगाया था। इस नाके में करीब 100 गाड़ियों की जांच की गई है। वहीं अवैध रूप से चलने वाली दो वोल्वो बसों से 20-20 हजार रुपये का मौके पर जुर्माना भी वसूला गया है।

– अनिल कुमार शर्मा, आरटीओ शिमला

अमर उजाला, दिनांक. 18 मई 2025
पेज न0–03, कालम–3,4,5

1,000 नए रूट होंगे जारी, होटलों में लगेंगे चार्जिंग स्टेशन : मुकेश

एक साल में डेढ़ लाख नए वाहनों का पंजीकरण, हिमाचल में 16 लाख लाइसेंसधारक, परिवहन विभाग की आय में 17% इजाफा

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। हिमाचल परिवहन विभाग एक हजार नए रूट जारी करने जा रहा है। इसमें 422 रूट बसों और 350 मिनी मिडी 18 सीटर के होंगे। 350 रूटों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है।

181 रूट निजी ऑपरेटरों को आवंटित किए हैं। नए रूट आवंटन होने के बाद प्रदेश में बस रूटों की संख्या चार हजार हो जाएगी। परिवहन निगम, निजी होटलों के अलावा अब रेस्टहाउस में भी चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में रविवार को पत्रकार वार्ता में दी। अग्निहोत्री ने कहा कि बीते दो साल में विभाग ने टैक्सी चालकों और अन्य व्यावसायिक वाहनों के लिए 26,812 परमिट जारी किए हैं। डिप्टी सीएम ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 परिवहन विभाग की आय 17 फीसदी बढ़ी है।

इस दौरान 912 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है, जो 2023-24 के मुकाबले 132 करोड़ ज्यादा है। अब विभाग ने 2025-26 में 1,000 करोड़ का राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विभाग के आधुनिकीकरण के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उस पर हिमाचल ने बेहतर कार्य किया है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय ने हिमाचल को इस साल 28.71 करोड़ का इनाम जारी किया है, जबकि पिछले साल 25 करोड़ मिला था। 6 ग्रीन कोरिडोर में 41 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने को तीन कंपनियों के साथ एमओयू साइन हो चुका है। इस साल 88 नए चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

25 लाख से ज्यादा के बिके फैंसी नंबर

फैंसी नंबर परिवहन विभाग के लिए आय का साधन बना है। पहले यह नंबर सिफारिशों पर मिलता था, लेकिन ई नीलामी से फैंसी नंबर से परिवहन विभाग को 37 करोड़ की आय हुई है। 25 लाख व इससे ज्यादा के भी नंबर बिके हैं।

वाहनों की पासिंग होगी ऑटोमेटिक

कहा कि 7 ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। अब वाहनों की पासिंग ऑटोमेटिक होगी। सोलन व नादौन में वाहन स्क्रैप केंद्र शुरू हो चुके हैं। बद्दी, रानीताल, बिलासपुर, मंडी, नालागढ़, हरोली व ऊना में भी केंद्र बनेंगे।

अमर उजाला, दिनांक. 19 मई 2025
पेज न0–02, कालम–5,6

शोघी में 16 गाड़ियों के चालान, 38 हजार जुर्माना

शिमला। यातायात नियमों की अवहेलना करने वालें चालकों पर विभाग कड़ी कार्रवाई अमल में ला रहा है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय (आरटीओ हेडक्वार्टर) के उड़न दस्ते के यातायात निरीक्षकों ने सोमवार को शोघी से वाकनाघाट के बीच नाका लगाया। इसमें 16 वाहन चालकों के चालान काटे गए और 38 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय (आरटीओ हेडक्वार्टर) के उड़न दस्ते के यातायात निरीक्षक राजकुमार और बलवंत की अगुवाई में टीम ने सुबह 10:30 बजे कार्रवाई शुरू की। आरटीओ अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि नियमों की अवहेलना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संवाद

अमर उजाला, दिनांक. 20 मई 2025
पेज न0–03, कालम–5

बिना टैक्स और टिकट के दौड़ रहीं 55 बसों और गाड़ियों के चालान

नेशनल हाईवे पर आरटीओ के उड़नदस्ते ने की कार्रवाई

संवाद न्यूज एजेंसी

शिमला से परवाणू तक हाईवे पर लगाया नाका, टैक्स चोरी और नियम उल्लंघन पर की कार्रवाई

शिमला। सड़क परिवहन नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ आरटीओ हेड क्वार्टर के उड़नदस्ते ने बड़ी कार्रवाई की है। शिमला से परवाणू नेशनल हाईवे पर लगाए दो दिवसीय विशेष नाके के दौरान 55 गाड़ियों के चालान किए गए। विभाग की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है।

आरटीओ हेडक्वार्टर शिमला की उड़नदस्ते टीम के यातायात निरीक्षक तपेश शर्मा, दीवान चंद ठाकुर और राजकुमार की अगुवाई में यह नाका लगाया गया। नाके में 250 गाड़ियों की जांच की गई। जांच में सामने आया कि टैक्सी मैक्सी गाड़ियों, टैंपो ट्रेवलर, ट्रक और बसों में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। उड़नदस्ते ने जांच में पाया कि कई गाड़ियां हिमाचल टैक्स चुकाए बिना नियमित रूप से प्रवेश कर रही हैं। इसके बाद ऐसे वाहनों के चालान किए गए। इसके अलावा बसों में टिकटें व चालक और परिचालकों द्वारा वर्दी भी पहनी नहीं पाई गई। इसके अलावा ओवरलोड रेत, रोड़ी लेकर आए ट्रकों को भी पकड़ा गया।

नियमों की अवहेलना करने वालों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके खिलाफ मौके पर कड़ी कार्रवाई की गई है विभाग का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग का लक्ष्य सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करना और राज्य को राजस्व की हानि से बचाना है।

– अनिल कुमार शर्मा, आरटीओ शिमला

अमर उजाला, दिनांक. 19 मई 2025
पेज न0–02, कालम–2,3

निजी बसों और ट्रकों में प्रेशर हॉर्न व ओवरलोडिंग पर विभाग सख्त

हिमाचल दस्तक ▪ सोलन

▪ नियमों के उल्लंघन पर 10 हजार तक का हो सकता है चालान

सोलन जिला के क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने निजी बसों और ट्रकों में प्रेशर हॉर्न और ओवरलोडिंग पर सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब इस तरह के नियम उल्लंघन पर कोई ढील नहीं दी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ कविता ठाकुर ने कहा है कि क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं। आरटीओ विभाग ने सभी निजी बस ऑपरेटरों से अपील की है कि वे अपने चालकों और परिचालकों को निर्देशित करें कि बसों को यात्रियों के चढ़ने-उतरने के समय सड़क किनारे उचित स्थान पर ही रोका जाए। उन्होंने कहा कि अकसर देखा गया है कि बसें बीच सड़क पर खड़ी कर दी जाती हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ओवरलोडिंग की समस्या पर बोलते हुए आरटीओ ने विशेष रूप से तूड़ी ले जाने वाले ट्रकों का जिक्र किया और कहा कि इस तरह की लापरवाही से न केवल सड़कें खराब होती हैं, बल्कि दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में वाहन मालिकों पर 10,000 तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। आरटीओ ने यह भी निर्देश दिए कि सभी चालक वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। इसके अलावा, उन्होंने सभी वाहन मालिकों को समय पर सड़क कर (रोड टैक्स) जमा कराने और लापरवाही से वाहन चलाने (रैश ड्राइविंग) से बचने की सख्त सलाह दी है।

हिमाचल दस्तक, दिनांक. 24 मई 2025
पेज न0–12, कालम–6,7

नियमों के उल्लंघन पर 16 निजी वोल्वो बसों के चालान

संवाद न्यूज एजेंसी

शिमला। बाहरी राज्यों से आने वाली वोल्वो बसों की मनमानी पर आरटीओ मुख्यालय के उड़नदस्ते ने कार्रवाई की है। शोघी और क्रॉसिंग क्षेत्र में अभियान के दौरान नियमों की अनदेखी करते हुए 16 निजी वोल्वो बसों को पकड़ा है।

विभाग की टीम ने मौके पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है। बाहरी राज्यों के पर्यटक भारी संख्या में शिमला घूमने आते है, लेकिन निजी वोल्वो बसों के संचालक कांट्रेक्ट परमिट पर चलने वाली इन बसों में नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। दिल्ली समेत अन्य राज्यों से आई वोल्वो बसों में स्टेज कैरिज के जरिये काम किया जा रहा है। लिहाजा विभाग को सूचना मिलने के बाद शहर के अलग-अलग जगहों पर नाके लगाए गए। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय (आरटीओ हेडक्वार्टर) के उड़नदस्ते के यातायात निरीक्षक तपेश शर्मा और राजकुमार की अगुवाई में जांच में पाया गया कि वोल्वो बसों ने नियमों की अवहेलना की है।

विभाग ने इस दौरान कुल 64 वाहनों के नियमों की अवहेलना करने पर चालान किए। कुल 2,37,000 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। मौके पर 16 ने चालान भुगता और 48 चालकों से 2,07,000 का जुर्माना वसूला जाएगा।

चालान काटते विभागीय टीम के अधिकारी। संवाद

नियमों का बार-बार उल्लंघन होने पर बसों के परमिट रद्द करने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। वहीं ऐसे वाहनों को प्रवेश भी नहीं करने दिया जाएगा। – अनिल कुमार शर्मा, आरटीओ शिमला

अमर उजाला, दिनांक. 26 मई 2025
पेज न0–02, कालम–2,3,4,5